

14 ⁰⁵/₂₄

पत्रावलीपेश हुई। वकील प्रार्थी अनु।

वकील प्रार्थी साबिक आदेश की पालना में पदमराम के मृत्यु प्रमाण की प्रति व नामान्तरकरण की प्रति पेश करने में विफल रहे हैं। लिहाजा प्रार्थना पत्र 0-9, R-2 CPC के प्रोविजो अनुसार प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार है।

तारीख हुयम

हुयम या कार्यवाही मय इनिशियल लर

नामक से कम ही।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधि-अप. वाली